प्रेस विज्ञप्ति

18.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने मंजीत सिंह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि के रूप में 5.92 लाख (अपराध के आगम के रूप में) रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), चंडीगढ़ द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, गोहाना शाखा, करनाल के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक मंजीत सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि मंजीत सिंह नाममात्र राशि के साथ ओडीबीओडी (बैंक की जमा राशि के खिलाफ ओवरड्राफ्ट) खाते खोलने में कामयाब रहे और एफडीआर धारकों की अनुमति के बिना विभिन्न ग्राहकों के तीसरे पक्ष के एफडीआर संलग्न करके सभी ओडीबीओडी खातों में सीमा बढ़ाने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने उक्त राशि को आईसीआईसीआई बैंक, गोहाना शाखा में रखे गए अपने निजी खाता नंबर 041501508496 में भेजकर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग किया।

ईडी की जांच से पता चला कि मंजीत सिंह ने जानबूझकर और धोखाधड़ी से 16 ओडीबीओडी खाते खोले और एफडीआर खाताधारकों की अनुमति के बिना सुरक्षा के रूप में विभिन्न तृतीय-पक्ष एफडीआर संलग्न किए और आईसीआईसीआई बैंक में रखे गए अपने बैंक खाते में धोखाधड़ी से राशि भेजी। मंजीत सिंह द्वारा खोले गए उल्लिखित ओडीबीओडी खातों के संबंध में दोनों बैंक शाखाओं (गोहाना और रोहतक) में से किसी के पास कोई ऋण दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। मंजीत सिंह ने स्वीकार किया कि उसने धोखाधड़ी की है और अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि मंजीत सिंह ने पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) में परिभाषित 11.57 करोड़ रुपये के अपराध के आगम अर्जित किए हैं।

मंजीत सिंह इन ओडीबीओडी खातों से प्राप्त आय को आईसीआईसीआई बैंक में रखे गए अपने बचत बैंक खाते में स्थानांतरित करता था। उन्होंने ओडीबीओडी खातों से प्राप्त इस राशि का उपयोग शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए किया। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के साथ रखे गए उनके डीमैट खाते, उसके लाभ और हानि विवरण और ट्रेड बुक की जांच से पता चला है कि उन्हें अगस्त, 2019 से नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान 9.18 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

आगे की जांच जारी है।